

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 82/10/974

तारीख दायर 3/1/18

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 82/19 पत्थरगढी बाबत।

शम्भुलाल पिता माधु जाति धाकड़, निवासी सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
(राज०) -----प्रार्थी

बनाम


1. भवानीलाल पिता भुरा जाति धाकड़ निवासी सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. जीतमल पिता प्यारचन्द जाति धाकड़ निवासी सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज०)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा बिलोनाबड़ी पटवार क्षेत्र आरोली, तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 54 आराजी नं. 95 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा एवं खाता संख्या 70 आराजी नंबर 140/109 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कि जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कम्प्लेंट कीद 9 का पत्थरगढी केस होना

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ